दिनाक 11.10.2020

प्रेस विज्ञप्ति–11/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद शाहजहांपुर/थाना खुटार

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित दो अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 10.10.2020 की सायं थाना खुटार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चकदाह पुल से पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित दो अभियुक्तों 1–बलजीत उर्फ बल्ली 2–देशराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्व जनपद के विभिन्न थानों पर गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, एन.डी.पी.एस. एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त देशराज थाना खुटार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 346/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट व अभियुक्त बलजीत उर्फ बल्ली मु0अ0सं0 393/2020 धरा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना खुटार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बलजीत उर्फ बल्ली नि0 ग्राम सुजानपुर थाना खुटार शाहजहांपुर।

2–देशराज नि0 ग्राम मैनिया थाना खुटार शाहजहांपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 मोटरसाइकिल।

जनपद बागपत/थाना सिंघावली अहीर

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 10.10.2020 की रात्रि थाना सिंघावली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गौसपुर पीर के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी ताजू उर्फ ताजूद्दीन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 237/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ताजू उर्फ ताजूद्दीन नि0 ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर बागपत।

जनपद बस्ती/थाना पैकोलिया

- **लूट की घटना का अनावरण, 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 10,050 रू0 नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 10.10.2020 को थाना पैकोलिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पकडीजसी के पास से 04 अभियुक्तों 1–मो0 शकील 2–अर्जुन 3–मो0 वसीम उर्फ मुन्ना 4–धीरू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 10,050 रू0 नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस, लूट का 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.10.2020 को लाई केमिकल के सेल्समैन से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना पैकोलिया पर

मु0अ0सं0 134/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद रूपये/माल को उक्त घटना से संबंधित होना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना पैकोलिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मो0 शकील नि0 लवाम थाना कोतवाली दरभंगा बिहार।

2—अर्जुन नि0 जरार थाना वाह जनपद आगरा।

3—मो0 वसीम उर्फ मुन्ना नि0 भागुवाला थाना नाजीबाबाद बिजनौर।

4—धीरू नि0 अनभुला थाना वजीरगंज गोण्डा।

बरामदगी

1—लूट के 10,050 रू0 नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

3—लूट का 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि।

जनपद गौतमबुद्वनगर/थाना जारचा

- **पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **21500 रू0 नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद**

दिनांक 11.10.2020 को थाना जारचा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना जारचा क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मुन्ना व अंकित घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा

कारतूस, 21500 रू0 नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जिनके विरूद्व जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्वनगर, बागपत के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना जारचा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मुन्ना उर्फ राजू नि0 अगरौला थाना टोनिका सिटी गाजियाबाद।

2—अंकित निवासी इस्सेपुर थाना कांधला शामली।

बरामदगी

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2—21500 रू0 नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटरसाइकिल आदि।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **35.5 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 कार, 64280 रू0 नगद व 04 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 11.10.2020 को थाना कोतवाली उरई पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राठ रोड ओवर ब्रिज के पास से 04 अभियुक्तों 1—विजयपाल 2—भूपचन्द्र 3—भरत 4—जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 35.5 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 कार, 64280 रू0 नगद व 04 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस संबंध में थाना कोतवाली उरई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विजयपाल नि0 ग्राम दोहतरा चिल्ला जनपद बांदा।

2—भूपचन्द्र नि0 मो0 लंधानपुरा जनपद महोबा।

3—भरत नि0 मो0 लंधानपुरा जनपद महोबा।

4—जितेन्द्र नि0 कस्बा व थाना महराजपुर छतरपुर म0प्र0।

बरामदगी

1—35.5 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—01 कार, 64280 रू0 नगद व 04 मोबाइल फोन

एसटीएफः सचिवालय व अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.10.2020 को एसटीएफ उ0प्र0 को सचिवालय व अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना देवेष कुमार मिश्र व 01 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— देवेष कुमार मिश्र पुत्र रमेष चन्द्र मिश्र, नि0 ग्राम दुर्गागंज, थाना बिलग्राम, हरदोई।

2— विनीत कुमार मिश्र पुत्र नरेन्द्र कुमार मिश्र नि0 मुनफ्फरपुर, मुल्लापुर, थाना पसगवां, खीरी।

बरामदगीः—

1— कूटरचित नियुक्ति पत्र।

2— कूटरचित आदेष पत्र।

3— शैक्षणिक प्रमाण पत्र (अभ्यर्थी)

4— फोटोग्राफ (अभ्यर्थी)

5— 02 अदद रजिस्टर।

6— 02 अदद मोबाईल फोन।

7— 04 अदद एटीएम कार्ड।

8— 02 अदद पैन कार्ड।

9— 02 अदद वोटर कार्ड।

10— 02 अदद ड्राइविंग लाइसेन्स।

11— 01 अदद आधार कार्ड।

12— 03 अदद सिम कार्ड।

13— 01 स्विफ्ट कार नं0 यू0पी0 32 के0डी0 7455

14— नगद 1100/—

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

अरविन्दो पार्क, थाना क्षेत्र इन्दिरानगर, लखनऊ दिनांक 11.10.2020 समय 07.25 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ गिरोहों द्वारा बेरोजगार युवकों से सचिवालय व अन्य सरकारी विभागों में नौकरी के दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही है। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमो/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के क्रम में आज दिनॉक 11.10.2020 को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का सरगना देवश कुमार मिश्र अपने गिरोह के कुछ सदस्यों के साथ अरविन्दो पार्क थाना क्षेत्र इन्दिरानगर के पास किसी से मिलने आने वाला है। इस सूचना पर श्री धर्मष कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में उ0नि0 सत्येन्द्र विक्रम सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 बृजेश सिंह, मु0आ0 प्रदीप सिंह, मु0आ0 अनिल सिंह, मु0आ0 नीरज पाण्डेय, मु0आ0 षैलेन्द्र सिंह की एक टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचकर मुखबिर के संकेत पर उसकी पहचान का विश्वास करते हुये आवश्यक बल प्रयोग कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने पूछने पर अपना नाम देवेष कुमार मिश्र व विनीत कुमार मिश्र उपरोक्त बताया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि उसका एक गिरोह है जो बेरोजगार नवजवानों को ढूढ़ते है और उन्हे सचिवालय व अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का लालच देकर उनसे पैसा लेते है तथा उनको हम लोगों द्वारा फर्जी तरीके से तैयार किया हुआ सचिवालय का लोगों लगा क्लर्क एवं चपरासी के पद का फर्जी नियुक्ति पत्र पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 का फर्जी हस्ताक्षर करने उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता था। अभ्यर्थियों से हम लोग सचिवालय के बाहर मिलते थे जिससे उनको विश्वास हो जाता था। प्रति अभ्यर्थी क्लर्क के पद के लिए 04 से 05 लाख रूपये व चपरासी पद के लिए 02 से 03 लाख रूपये तक लेते थे। अभ्यर्थियों से मिले पैसों को हम लोग सबके काम के हिसाब से आपस में बांट देता था। गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना इन्दिरानगर, जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 378/2020 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————